<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

दिनाँक 09.11.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः—

जनपद खीरी में सड़क सुरक्षा यातायात माह नवंबर 2022 के अंतर्गत की गई कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी यातायात महोदय के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के अंतर्गत ओवर हाइट, तीन सवारी, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर सिकंदराबाद चौराहा एवं रायपुर मोड़ पर यातायात के टीएसआई संजीव कुमार तोमर एवं चौकी इंचार्ज सिकंदराबाद सुनील कुमार मय पुलिस बल संयुक्त रूप से चेकिंग की गई एवं आम जनमानस को यातायात नियमों के बारे में म्यूजिक के माध्यम से एवं पंपलेट देकर जानकारी एवं जागरूक किया गया तथा बताया गया कि आए दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी ना होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन ना करना है दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें ट्रक, ट्रैक्टर डबल ट्राली पर गन्ना आदि ओवर हाइट कर परिवहन ना करें, वाहन चलाते समय हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहन को निर्धारित गति में चलाएं नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें स्टंट बाइकिंग से बचे हैं काली फिल्म हूटर प्रेशर हॉर्न का प्रयोग ना करें गलत दिशा में ना चले इस तरह यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होगी तथा लोग सुरक्षित रहेंगे साथ ही रोड के किनारे अपने वाहन आदि ना खड़ा करें, ट्रैक्टर ट्रॉली लोडर पिकअप पर यात्रा न करें एवं रिफ्लेक्टर अवश्य लगाएं यातायात नियमों के अनदेखी करने वाले वाहन चालकों एवं वाहनों के विरुद् मोटर यान अधिनियम के तहत कुल 205 वाहनों का चालान 03 वाहन सीज किए गए हैं।

आगामी दिनांक 12.11.2022 को समय 9:00 से 2:00 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है जिसमें आम जनमानस अपने लंबित वादों/ वाहनों से संबंधित चालान मा० न्यायालय खीरी में सुगमता एवं सरलता पूर्वक निस्तारण करा सकते हैं।

<u>**थाना मितौली पुलिस द्वारा, 02 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया**</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 09.11.2022 को थाना मितौली पुलिस द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्तों 1. लालाराम पुत्र परमेश्वरदीन नि0 पलिया माफी थाना मितौली जनपद खीरी 2. सुरेश कुमार पुत्र खुशीराम नि0 ग्राम खमहरिया थाना मितौली खीरी को गिरफ्तार माननीय न्या0 भेजा गया है।

<u>**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-**</u>

1. लालाराम पुत्र परमेश्वरदीन नि0 पलिया माफी थाना मितौली जनपद खीरी
2. सुरेश कुमार पुत्र खुशीराम नि0 ग्राम खमहरिया थाना मितौली खीरी

<u>**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**</u>

1. उ0नि0 शिवकुमार सिंह
2. हे0का0 राजेन्द्र यादव
3. का0 इन्द्रेश यादव

<u>थाना मैलानी पुलिस द्वारा, 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 09.11.2022 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा वाद संख्या 147/17 धारा 125(3) सीआरपीसी से संबंधित वारंटी अभियुक्त विजयपाल पुत्र महेश निवासी ग्राम छेदीपुर थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार माननीय न्या0 भेजा गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>
विजयपाल पुत्र महेश निवासी ग्राम छेदीपुर थाना मैलानी जनपद खीरी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>
1. उ0नि0 कौशल किशोर
2. का0 जितेन्द्र वर्मा
3. का0 जितेन्द्र चौरसिया

<u>थाना फरधान पुलिस द्वारा, जुआ खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को 52 अदद ताश के पत्ते व कुल 2230 रु0 नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया।</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध समाज विरोधी क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 09.11.22 को थाना फरधान पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों 1. संजय कुमार पुत्र मान सिंह 2. हीरालाल पुत्र राकेश कुमार 3. अजय वर्मा पुत्र सन्तोष कुमार नि0गण ग्राम चिन्हारपुर थाना फरधान खीरी 4. जसकरन पुत्र राममूर्ति नि0 ग्राम अम्बूपुर बहेरवा थाना फरधान खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते व कुल 2230 रु0 नगद बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना फरधान पर मु0अ0सं0 500/2022 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-</u>
1. संजय कुमार पुत्र मान सिंह नि0 ग्राम चिन्हारपुर थाना फरधान खीरी
2. हीरालाल पुत्र राकेश कुमार नि0 ग्राम चिन्हारपुर थाना फरधान खीरी
3. अजय वर्मा पुत्र सन्तोष कुमार नि0 ग्राम चिन्हारपुर थाना फरधान खीरी
4. जसकरन पुत्र राममूर्ति नि0 ग्राम अम्बूपुर बहेरवा थाना फरधान खीरी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>
1. उ0नि0 मो0 मुश्ताक
2. का0 गौरव कुमार शर्मा
3. का0 सतपाल सिंह

थाना पलिया पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त सुशील कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 09.11.22 को थाना पलिया पुलिस द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान अभियुक्त सुशील कुमार गुप्ता पुत्र रामआसरे गुप्ता नि0 कस्बा भीरा थाना भीरा जनपद खीरी को 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना पलिया पर मु0अ0सं0 633/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
सुशील कुमार गुप्ता पुत्र रामआसरे गुप्ता उम्र करीब 38 वर्ष नि0 कस्बा भीरा थाना भीरा जनपद खीरी ।

बरामदगी
01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर
01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास
1. 0355/2003 धारा 323/324/504 भादवि थाना भीरा जनपद खीरी
2. 972/2004 धारा थाना भीरा जनपद खीरी
3. 0458/2006 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भीरा जनपद खीरी
4. 0457/2006 धारा 147/307/401 भादवि थाना भीरा जनपद खीरी
5. 0371/2009 धारा 110 जी थाना भीरा जनपद खीरी
6. 1138/2009 धारा 109/41 भादवि थाना भीरा जनपद खीरी
7. 0779/2009 धारा 60 आब0अधि0 थाना भीरा जनपद खीरी
8. 0120/2012 धरा 110 जी थाना भीरा जनपद खीरी

पुलिस टीम
1.उ0नि0 तेजसिंह, थाना पलिया जनपद खीरी
2.का0 जीवन सिंह, थाना पलिया जनपद खीरी
3.का0 सूरज कुमार, थाना पलिया जनपद खीरी
4.का0 ओम असीम यादव, थाना पलिया जनपद खीरी

थाना पलिया पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त असलम बेग को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 09.11.22 को थाना पलिया पुलिस द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान अभियुक्त असलम बेग पुत्र अनवर बेग नि0 जामा मस्जिद मो0 पठान कस्बा व थाना भीरा जनपद खीरी को 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना पलिया पर मु0अ0सं0 634/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

असलम बेग पुत्र अनवर बेग नि0 जामा मस्जिद मो0 पठान कस्बा व थाना भीरा जनपद खीरी ।

बरामदगी

01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 667/2012 धारा 3/5 गौहत्या निवारण अधि0, धारा 11 पशुओ के प्रति क्रूरता का निवारण अधि0 एवं धारा 380,411 भादवि थाना भीरा जनपद खीरी।

पुलिस टीम

1.उ0नि0 अजीत कुमार मिश्रा, थाना पलिया

2.का0 हरिओम मौर्य, थाना पलिया

3.का0 पवन रावत, थाना पलिया

4.का0 देवेन्द्र सिसौदिया, थाना पलिया

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 210 लीटर अवैध शराब बरामद कर 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **210 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **02 शराब भट्टी** बरामद कर **14 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **11 अभियोग** पंजीकृत किए गए।